भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 892

29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आईएमपीसीएल

892. श्री सुधाकर सिंह:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन मेडिसीन फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार की आईएमपीसीएल और संपूर्ण आयुष क्षेत्र के लिए भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आईएमपीसीएल एक लाभ कमाने वाला संगठन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार इस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को बेचने या इसमें विनिवेश करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ग): इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) एक लाभ कमाने वाला संगठन है। पिछले 5 वर्षों के लिए आईएमपीसीएल की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	आरक्षित एवं अधिशेष	निवल मूल्य (नेट वर्थ)
	रुपये लाख में		
2019-20	42.77	2304.00	7502.00
2020-21	1569.04	3396.50	8594.50
2021-22	4540.9	6591.23	11789.23
2022-23	2948.9	7618.32	12816.32
2023-24	1773.34	8258.26	13456.26

(ख): आईएमपीसीएल के लिए सरकार की कोई भावी योजना नहीं है। आयुष क्षेत्र के संबंध में, आयुष मंत्रालय पहले से ही देश में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है और उन्हें उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन हेतु उनके प्रयासों में मदद दे रहा है। एनएएम में विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं जैसे 10/30/50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन, सरकारी क्षेत्र में अपर्याप्त सुविधाओं वाले राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना, मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन, आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन आदि।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय 2021-22 से आयुर्ज्ञान और आयुर्स्वास्थ्य नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। आयुर्ज्ञान योजना का उद्देश्य, बहिर्वर्ती अनुसंधान गतिविधियों, शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि प्रदान करके आयुष में अनुसंधान और नवाचार हेतु सहायता देना है। आयुर्स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु आयुष उपचार को बढ़ावा देना और संगठनों (सरकारी/गैर-सरकारी) को उनके कार्यों और सुविधाओं को उन्नत करने में सहायता देना है।

(घ) और (ङ): नीति आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 01.11.2017 को इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) के कार्यनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी थी। आईएमपीसीएल के विनिवेश के लिए दिनांक 31.08.2023 को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मांगी गई थी और डीआईपीएएम को कई ईओआई प्राप्त हुई हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई दूसरे चरण में चली गई है।

*****